SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY : Sir, it is stated that a pre-condition is there for the Central assistance under the Accelerated Power Development and Reform Programme. I would like to know from the hon. Minister what is the amount available with the APDRP, and since Andhra Pradesh is the first State to implement power reforms and constitute APERC, what is the assistance extended to Andhra Pradesh?

**श्री अनन्त गंगाराम गीते** : सभापति जी, यह एपीडीआरपी के संदर्भ में जो भी आंध्र प्रदेश को सहायता दी गई है, उसका ब्यौरा मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्य को दे दूंगा।

## जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं

*568. **श्री उदय प्रताप सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002-03 के दौरान जम्मू और कश्मीर में घटित आतंकवादी घटनाओं में कितने निर्दोष लोग मारे गए;

(ख) ऐसी घटनाओं में अर्धसैनिक बलों के कितने सैनिक और अधिकारी मारे गए; और

(ग) मारे गए लोगों और सैनिकों को दी गई सरकारी सहायता का ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक)** : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

### विवरण

(क) और (ख) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1.1.2002 से 31.3.2003 तक की अवधि के दौरान मारे गए सिविलियनों सुरक्षा बल कार्मिकों (राज्य पुलिस, केन्द्रीय अर्धसैनिक बल तथा सेना) तथा आतंकवादियों की संख्या निम्नानुसार है :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | सिविलियन | - | 1200 |
| 2. | सुरक्षाबल कार्मिक | - | 503 |
| 3. | आतंकवादी | - | 1973 |

(ग) जम्मू और कश्मीर सरकार आतंकवाद के शिकार सिविलियनों के निकटतम संबंधी को मौजूदा मानकों के अनुसार मृत्यु, घायल होने आदि की स्थिति में अनुग्रह राहत प्रदान करती है। राज्य सरकारों के आदेशों के अनुसार निकटतम संबंधी को किसी आतंकवादी घटना में हुई मृत्यु के मामले में 1,00,000 रु., स्थायी विकलांगता, गंभीर रूप से घायल होने तथा मामूली रूप से घायल होने के मामले में क्रमश: 75,000/- रु., 5,000/- रु. तथा 1,000/- रु. अदा किए जाते हैं। आतंकवादी घटनाओं में मारे गए सुरक्षा बल कार्मिकों तथा स्वयंसेवक सिविलियन एस.पी.ओ. के

मारे जाने की स्थिति में राज्य सरकार उनके निकटतम संबंधी को 2 लाख रु. की दर से अनुग्रही राहत प्रदान करती है। बाद में, इन राशियों की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को की जाती है।

सेना और केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल कार्मिकों के मामले में अनुग्रही राहत पांचवें वेतन आयोग के अनुसार उनकी यूनिटों की मार्फत प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर पुलिस कार्मिकों के निकटतम रिश्तेदारों को तीन लाख रु. की अनुग्रही राहत सीधे ही प्रदान की जाती है।

**Terrorist incidents in J & K**

†*568. SHRI UDAY PRATAP SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of innocents killed in the terrorist incidents in Jammu and Kashmir during the year 2002-2003;

(b) the number of soldiers and officers of Para-military forces killed in such incidents; and

(c) the details of Government assistance given to the people and soldiers killed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HARIN PATHAK) : (a) to (c) A Statement is laid on the table of the House.

***Statement***

(a) and (b) As per information available from the State Government of J&K, the number of civilians, and Security Forces (State Police, CPMFs and Army) personnel and terrorists killed in J&K in terrorist incidents during the period 1.1.2002 to 31.3.2003 is as under:

| | |
|---|---|
| (1) Civilians | — 1200 |
| (2) Security Forces | — 503 |
| (3) Terrorist | — 1973 |

(c) Government of Jammu & Kashmir has been providing ex-gratia relief to the next of kins of civilian victims of terrorism for death, injury, etc. as per the existing norms. As per State Government's orders, Rs. 1 lakh is paid to the next-of-kin in case of death, Rs. 75000/-, Rs. 5,000/- and 1,000/- for permanent disability, grievous injury and minor injury respectively caused in a terrorist incident. In case of Security Force

†Original notice of the question was received in Hindi.

personnel killed in terrorist incidents and of the volunteer civilian SPOs killed in terrorist incidents the State Government provides ex-gratia relief to their next of kin at the rate of Rs. 2 lakhs. These amounts are subsequently reimbursed to the State Government.

In case of army and central para-military force personnel ex-gratia relief as per the Fifth Pay Commission is payable through their units. In addition Rs. 3 lakhs is paid by the Central Government as ex-gratia relief directly to the next of kin of J&K Police personnel.

**श्री उदय प्रताप सिंह:** माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना दी है, उसके मुताबिक लगभग 4000 व्यक्ति हर साल वहां पर शहीद होते हैं। आतंकवादियों के और हमारे जो लोग मारे जाते हैं, उनकी संख्या लगभग बराबर है, उनमें सैनिक भी हैं और असैनिक भी हैं। मैं मंत्री जी से एक बात यह जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार की साझेदारी इस समस्या को हल करने के लिए बढ़ाते हुए जो लोग वहां शहीद होते हैं, चाहे वे सैनिक हों या असैनिक हों, उनको जो मदद है वह बहुत कम है, क्या केन्द्र सरकार ऐसा अनुभव करती है? जो मामूली रूप से घायल हो जाता है, उसे एक हजार रुपए दिए जाते हैं, जो ज़रा ज्यादा घायल होता है, उसे पांच हजार रुपए दिए जाते हैं। आज की महंगाई में यह राशि कहुत कम है। क्या सरकार यह अनुभव करती है कि इसमें सुधार होना चाहिए?

**श्री हरिन पाठक:** सभापति महोदय, यह जो मदद दी जाती है, जो कंपनसेशन दिया जाता है, जो सिविलियन मारे जाते हैं उनके next kin को एक लाख रुपया दिया जाता है, जिन्हें permanent disability हो जाती है, उनको 75,00 रुपए दिए जाते हैं, जिन्हें major injury होती है, उन्हें 5,000 रुपए दिए जाते हैं और जिन्हें minor injury होती है, उन्हें 1,000 रुपए दिए जाते हैं। जो सिविलियन को दिया जाता है, उस हिसाब से जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग है, उनको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह सारी रकम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार को re-imburse करती है।

**श्री उदय प्रताप सिंह:** मेरा आपसे निवेदन है कि सुरक्षा बल के जो लोग शहीद होते हैं, उनके परिवारों को बहुत वेदना होती है। घर में एक आदमी रोटी कमाने वाला होता है और वह भी अगर मारा जाए तो घर को पुनर्स्थापित करने में और व्यवस्था बनाने में बड़ी कठिनाइयां होती है? क्या सरकार उनके आश्रितों को नौकरियों में प्राथमिकता देने की कोई योजना बना रही है? अगर नहीं बना रही है तो क्यों नहीं बना रही है? मैं कभी-कभी यह सोचा करता हूं कि वे बेचारे छले गए हैं जो फूलों का मौसम लाने की कोशिश में चले गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर सरकार गंभीरता से दे।

**श्री हरिन पाठक:** सभापति महोदय, हमारे जो जवान शहीद होते हैं, उन्हें हम बाकी रूटीन इंसिडेंट्स में जो लोग मारे जाते हैं, उनसे ज्यादा मुआवज़ा देते हैं। उन्हें हम साढ़े सात लाख रुपए देते हैं। ऐसी अनेक प्रकार की योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत उनके परिवार के लागों की मदद की जाती है

जैसे उन्हें पेट्रोल पंप देना आदि। तो अनेक प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत सरकार उनका ख्याल रखती है।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, I would like to ask the hon. Minister, through you, as to what happens to the innocent civilians who are killed by the security forces due to mistaken identity. It had happened in Chattisinghpora where some five persons were killed. But it was proved later on that they were absolutely innocent and they were killed because of mistaken identity. What compensation have you given to the family members of these persons?

SHRI HARIN PATHAK: If such incidents occur, we, definitely, take action against the culprits, whosoever it may be, and we give the compensation also.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: My specific point of supplementary is. . .

MR. CHAIRMAN: He has understood your supplementary.

SHRI HARIN PATHAK: If innocent persons are killed by security forces, No.1, strict actioin is taken against those who are culprits in such incidents; No. 2, compensation is also given to the family members of these victims.

श्री एस. एस. अहलुवालिया: सभापति महोदय, क्रॉस फॉयरिंग में जब कश्मीर में कोई भी सिविलियन मारा जाता है तो उसको एक लाख रुपया दिया जाता है पर क्या यह रकम कम नहीं है? जहां हमारी भारतीयता की रक्षा करने के लिए, भारतीय संस्कृति, भारतीय बॉर्डर की रक्षा करते हुए या उस राज्य की रक्षा करते हुए जो हमारे भारतवासी वहां रह रहे हैं, उनको आतंक, भय सब कुछ है, वे पलायन नहीं कर रहे हैं और वहां रह रहे हैं, उनको आप सिर्फ एक लाख रुपए देते हैं। इससे उनके मन में यह हीन भावना जागती है कि भारत के किसी कोने में अगर कोई दंगा हो या कोई घटना हो, उसमें अगर कोई आदमी मरता है, उसकी तुलना अगर कश्मीर में मरने वाले लोगों के साथ की जाए तो जमीन-आसमान का फर्क है। वहां पर मुख्यमंत्री 5 लाख, 10 लाख की घोषणा करते हैं। क्या केन्द्र सरकार इस पर कोई नियम बनाएगी कि जहां भी ऐसे लोगों की हत्या हो जाए या ऐसे मारे जाएं तो उसके लिए एक समान नियम लागू होगा?

श्री हरिन पाठक: सभापति महादय, ये घटनाएं जब घटती हैं तो चाहे वे अन्य राज्यों में हों या जम्मू-कश्मीर में हों, प्रदेश सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है और प्रदेश सरकार ही अपने नियमों के अंतर्गत कंपनसेशन की घोषणा करती है। फिर भी इनकी संवेदना को देखते हुए और इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार का मन खुला है, वह उस पर निश्चित रूप से विचार कर सकती है।